अनुदान संख्या 103 – जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 103–MINISTRY OF WATER RESOURCES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	793,57,00	906,28,00*	767,43,14	–138,84,86
पूरक	Supplementary	112,71,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				122,08,64
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,00,00*	. .	*–3,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	109,76,00	111,37,00*	62,73,40	–48,63,60
पूरक	Supplementary	1,61,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26,07,71

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13884.86 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 11271.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13884.86 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.11271.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

* जल संसाधन मंत्रालय ने गलती से अनुदान के पूंजीगत से राजस्व भाग में 14,23,29 (हजार) रु. का पुनर्विनियोग कर दिया। अत: इसे शामिल नहीं किया गया और इसीलिए इसे लेखों में भी नहीं दर्शाया गया।

* The Ministry of Water Resources made an erroneous re-appropriation of Rs.14,23,29 (ths) from Capital to Revenue Section of the grant. Therefore, it was not given effect and hence not shown in the accounts.

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2253.00			
पू.	S.	468.00	2598.70	2542.35	–56.35
पु.	R.	–122.30			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	10570.00			
पू.	S.	480.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–11050.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	31959.00			
पू.	S.	3819.00	30180.17*	30364.75	+184.58
पु.	R.	–5597.83 *			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	16418.00			
पू.	S.	2337.00	16354.41*	15155.06	–1199.35
पु.	R.	–2400.59 *			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	8190.00			
पू.	S.	931.00	17604.08	17047.08	–557.00
पु.	R.	8483.08			

* जल संसाधन मंत्रालय ने गलती से अनुदान के पूंजीगत से राजस्व भाग में 14,23,29 (हजार) रु. का पुनर्विनियोग कर दिया। अत: इसे शामिल नहीं किया गया और इसीलिए इसे लेखों में भी नहीं दर्शाया गया।

* The Ministry of Water Resources made an erroneous re-appropriation of Rs.14,23,29 (ths) from Capital to Revenue Section of the grant. Therefore, it was not given effect and hence not shown in the accounts.

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	2560.00			
पू.	S.	235.00	3301.00	3256.58	–44.42
पु.	R.	506.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7400.00			
पू.	S.	3001.00	8372.00	8368.45	–3.55
पु.	R.	–2029.00			

(I) 13658.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 13450.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(i) "पगलादिया बांध परियोजना" - 200.00 लाख रु. जिरात सर्वेक्षण के पूरा न किए जाने के कारण थे।

(ii) "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - 9678.00 लाख रु. (478.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(iii) "बाढ़ का पूर्वानुमान" - 350.00 लाख रु.;

(ख) सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) अन्य व्यय" -

(I) Provision of Rs.13658.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.13450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Flood Control - Other Expenditure" –

(i) "Pagladia Dam Project" – Rs.200.00 lakhs - due to non-completion of Zirat Survey.

(ii) "River Management Activities and Works related to Border Areas" - Rs.9678.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.478.00 lakhs);

(iii) "Flood Forecasting" – Rs.350.00 lakhs;

(b) "General (Major & Medium Irrigation) Other Expenditure" –

(i) ''जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'' - 252.00 लाख रु. (2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) ''जल संसाधन अन्वेषण विकास स्कीम'' - 200.00 लाख रु.; और

(ग) ''भू जल अन्वेषण - भू जल प्रबंधन और विनियमन'' - 270.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना - सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना'' - 2500.00 लाख रु. पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' -

(क) ''अनुसंधान'' -

(i) ''अनुसंधान और विकास कार्यक्रम'' - 5900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 192.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6092.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2110.53 लाख रु. की बचत (पूरकअनुदान सहित) आकृति-मूलक अध्ययन का कार्य शुरू किए जाने और केंद्रीय जल आयोग द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(i) "Development of Water Resources Information System" - Rs.252.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs);

(ii) "Investigation of Water Resources Development Scheme"– Rs.200.00 lakhs; and

(c) "Ground Water Investigation – Ground Water Management and Regulation" – Rs.270.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601"- "Non Plan Grants – Major Irrigation (Non-Commercial) - Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project"- Rs.2500.00 lakhs - due to non-release of funds being subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Presidential reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2701" – "General"-

(a) "Research" –

(i) "Research and Development Programmes"- the original provision of Rs.5900.00 lakhs was augmented to Rs.6092.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.192.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2110.53 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in taking up works of Morphological Studies and in submission of performance evaluation studies by Central Water Commission.

(ii) ''जल विज्ञान परियोजना'' - 4400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 164.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4564.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3572.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने, स्कीम के अंतर्गत होने वाले व्यय के प्रतिपूरक आधार पर होने के कारण हुई।

(ii) "Hydrology Project" - the original provision of Rs.4400.00 lakhs was augmented to Rs.4564.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.164.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3572.45 lakhs (including supplementary grant) - due to submission of less proposals, expenditure under scheme being on reimbursement basis.

(ख) ''अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' - 216.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 16.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 232.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 105.90 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Other Schemes" – the original provision of Rs.216.60 lakhs was augmented to Rs.232.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.16.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.105.90 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of pending Assured Career Progression cases and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - भू जल प्रबंधन और विनियमन'' - 10430.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 621.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11051.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 4512.56 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय भू जल कांग्रेस आयोजित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निधियां कम कर दिए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, पेट्रोल, तेल और स्नेहक शीर्ष अलग कर दिए जाने और रिगों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(B) Major Head "2702" - "Ground Water – Investigation – Ground Water Management and Regulation" – the original provision of Rs.10430.00 lakhs was augmented to Rs.11051.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.621.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.4512.56 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction of funds by Ministry of Finance to organize National Ground Water Congress, non-filling up of vacant posts, separation of POL head and non-materialisation of proposal for procurement of Rigs.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - बाढ़ का पूर्वानुमान'' - 1950.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1960.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 592.14 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने/आस्थगित किए जाने, रिक्त पदों के भरे न जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "2711" - "Flood Control – Other Expenditure – Flood Forecasting" – the original provision of Rs.1950.00 lakhs was augmented to Rs.1960.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.592.14 lakhs (including supplementary grant) - due to delay/deferment in process of procurement, non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' -

(क) ''सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय'' - 1913.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 402.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2315.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, दैनिक मजदूरों को कम संख्या में लगाए जाने और बगलिहार विद्युत परियोजना संबंधी तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष कम सुनवाई होने के कारण141.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य कार्यालय'' -

(i) ''रावी-व्यास जल अधिकरण'' - 74.97 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 93.97 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम दौरे किए जाने और चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने के कारण 11.31 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''कावेरी जल विवाद अधिकरण'' - 137.02 लाख रु. के मूल प्रावधान को 32.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 169.02 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 27.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' -

(क) ''प्रशिक्षण - केंद्रीय जल संसाधन प्रणाली और आयोजना प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय जल अकादमी'' - 230.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 49.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 279.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपायों के कारण 42.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "3451" –

(a) "Secretariat – Ministry of Water Resources" – the original provision of Rs.1913.00 lakhs was augmented to Rs.2315.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.402.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.141.16 lakhs - due to less engagement of daily wagers and less hearing before Neutral Expert on Baglihar Electric Project.

(b) "Other Offices"-

(i) "The Ravi-Beas Water Tribunal" - the original provision of Rs.74.97 lakhs was augmented to Rs.93.97 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.31 lakhs - due to less tours undertaken and receipt of less medical claims.

(ii) "The Cauvery Water Disputes Tribunal" - the original provision of Rs.137.02 lakhs was augmented to Rs.169.02 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.32.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.27.87 lakhs - due to less tours undertaken and economy measures.

(B) Major Head "2701" – "General"-

(a) "Training – Central Training Institute of Water Resources System and Planning Management/National Water Academy" - the original provision of Rs.230.00 lakhs was augmented to Rs.279.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.49.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.42.19 lakhs - due to non-finalisation of assured career progression cases and economy measures.

(ख) ''अनुसंधान - केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र'' - 485.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 137.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 622.50 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 23.11 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Research – Central Soil and Materials Research Station" - the original provision of Rs.485.50 lakhs was augmented to Rs.622.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.137.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.23.11 lakhs - due to requirement of less funds towards salary.

(ग) ''अन्य व्यय - जल संसाधन अन्वेषण विकास स्कीम'' - 3500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 527.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4027.00 लाख रु. कर दिया गया जो,तथापि, केन बेतवा सम्पर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य केंद्रीय जल आयोग से राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण को अंतरित न किए जाने के कारण 410.23 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "Other Expenditure – Investigation of Water Resources Development Scheme" - the original provision of Rs.3500.00 lakhs was augmented to Rs.4027.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.527.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.410.23 lakhs - due to non-transfer of work of Detailed Project Report of Ken Betwa Link from Central Water Commission to National Water Development Authority.

(गा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में एफ.एफ. और जल वैज्ञानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 160.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 63.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 223.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और कम दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 27.98 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure – Strengthening and Modernisation of F.F. and Hydrological Observation network in Brahmaputra and Barak Basin" - the original provision of Rs.160.50 lakhs was augmented to Rs.223.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.63.20 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.27.98 lakhs - due to receipt of less claims towards leave travel concession, less tours undertaken and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2701"- "General – Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'' - 155.55 लाख रु. की बचत (3735.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हार्डवेयर उपस्करों की खरीद आस्थगित किए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Development of Water Resources Information System" – saving of Rs.155.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3735.00 lakhs) was due to deferment of purchase of hardware equipment and less tours undertaken.

(खा) ''अवसंरचना विकास'' - 202.22 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(B) "Infrastructure Development" – saving of Rs.202.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to delay in process of procurement of machinery and equipment and economy measures.

(गा) "सूचना, शिक्षा और संचार" - 391.97 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचार माध्यम जागरूकता कार्यक्रम के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और विश्वव्यापी वर्षा जल संरक्षण स्कीम के विस्तार का अनुरोध प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.391.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Media Awareness Programme and non-receipt of request for extension of Global Rain Water Harvesting Scheme.

(V) मुख्य शीर्ष "2702" - "भू जल - अन्वेषण - राजीव गांधी राष्ट्रीय भू जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान" के अंतर्गत 145.93 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2702" -"Ground Water – Investigation – Rajiv Gandhi National Training and Research Institute for Ground Water" – saving of Rs.145.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत 147.95 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थी।

(VI) Under two heads savings of Rs.147.95 lakhs occurred each, exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 43 percent and 50 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (370.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सतह जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 369.76 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.370.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Surface Water - Other Grants- Development of Water Resources Information System". Actual excess, however, was Rs.369.76 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य" -

(A) Major Head "2701" - "General"-

(क) "निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग" - 133.74 लाख रु. का अधिक व्यय (446.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1871.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Direction and Administration - Central Water Commission" – excess of Rs.133.74 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1871.00 lakhs including supplementary grant of Rs.446.00 lakhs); and

(ख) "आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग" - 975.45 लाख रु. का अधिक व्यय (1138.30 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5566.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Data collection - Central Water Commission" - excess of Rs.975.45 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5566.90 lakhs including supplementary grant of Rs.1138.30 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''अनुसंधान - केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र'' - 503.92 लाख रु. का अधिक व्यय (2840.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग रिपोर्ट लागू किए जाने और चिकित्सा दावों/अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(घ) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - केंद्रीय जल आयोग'' - 111.61 लाख रु. का अधिक व्यय (27.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 662.40 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, कार्य को प्रभारित पेट्रोल, तेल और स्नेहक मदों की लागत तथा कार्यालय सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू जल बोर्ड'' - 1066.55 लाख रु. का अधिक व्यय (1716.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 7486.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय'' -

(क) ''केंद्रीय जल आयोग'' - 1104.75 लाख रु. का अधिक व्यय (565.80 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4065.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू किए जाने और कार्य को प्रभारित पेट्रोल, तेल और स्नेहक मदों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य'' - 7439.18 लाख रु. का अधिक व्यय (272.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2772.00

Excess under the above two heads was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(c) "Research – Central Water and Power Research Station"- excess of Rs.503.92 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2840.40 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and increase in medical claims/hospitalisation cases.

(d) "Survey & Investigation - Central Water Commission"- excess of Rs.111.61 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.662.40 lakhs including supplementary grant of Rs.27.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report, increase in cost of POL items charged to works and in cost of office materials.

(B) Major Head – "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board" - excess of Rs.1066.55 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.7486.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1716.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(C) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure" –

(a) "Central Water Commission" - excess of Rs.1104.75 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4065.00 lakhs including supplementary grant of Rs.565.80 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and increase in cost of POL items charged to works.

(b) "River Management Activities and Work's related to Border Areas"- excess of Rs.7439.18 lakhs (against the total

लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552"से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

sanctioned provision of Rs.2772.00 lakhs including supplementary grant of Rs.272.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utlisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घा) मुख्य शीर्ष "3075" - "नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजना - फरक्का बराज" - 454.27 लाख रु. का अधिक व्यय (189.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2229.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(D) Major Head – "3075" – "River Training Works – Farakka Projects – Farakka Barrage" - excess of Rs.454.27 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2229.00 lakhs including supplementary grant of Rs.189.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report and clearance of pending CISF's deployment bills.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, सम्पूर्ण *विनियोग* निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा:-

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, entire *appropriation* remained unutilised under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*	*300.00*	. .	*–300.00*

(I) *300.00 लाख रु.* का *विनियोग* "योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्रण - अन्य कर्ज - पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आपाती बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता" के अंतर्गत एक मामले में पहले जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र देर से प्राप्त होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.300.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under - "Loans for Non-Plan Schemes – Flood Control – Other Loans – Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors" – due to late receipt of utilisation certificates of the earlier releases.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4863.60 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 161.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.4863.60 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.161.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 44 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	850.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–850.00			
मुख्य शीर्ष ''4702'' लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	650.00	320.00	207.24	–112.76
पु.	R.	–330.00			
मुख्य शीर्ष ''4711'' बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	1800.00	1206.29*	655.75	–550.54
पु.	R.	–593.71 *			
मुख्य शीर्ष ''5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	7500.00	6965.00*	5402.74	–1562.26
पू.	S.	161.00			
पु.	R.	–696.00 *			

* जल संसाधन मंत्रालय ने गलती से अनुदान के पूंजीगत से राजस्व भाग में 14,23,29 (हजार) रु. का पुनर्विनियोग कर दिया। अत: इसे शामिल नहीं किया गया और इसीलिए इसे लेखों में भी नहीं दर्शाया गया।

* The Ministry of Water Resources made an erroneous re-appropriation of Rs.14,23,29 (ths) from Capital to Revenue Section of the grant. Therefore, it was not given effect and hence not shown in the accounts.

(I) 926.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 800.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "बाढ़ नियंत्रण के लिए पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.926.00 lakhs remained wholly untilised under three heads; of these Rs.800.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Capital Outlay for Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "5075" - "नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बराज" - के अंतर्गत 7500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 161.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7661.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2258.26 लाख रु. (पूरक अनुदान सहित) की बचत न्यायिक मामले और माध्यस्थम अधिनिर्णय कम होने और व्यय वित्त समिति ज्ञापन का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5075" – "River Training Works – Farakka Projects – Farakka Barrage" – the original provision of Rs.7500.00 lakhs was augmented to Rs.7661.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.161.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2258.26 lakhs (including supplementary grant) due to less court cases and Arbitration awards and delay in getting approval of Expenditure Finance Committee Memo.

(III) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू जल - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत 442.76 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(III) Under Major Head "4702" – "Ground Water – Infrastructure Development" – saving of Rs.442.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 650.00 lakhs); and

(IV) "मुख्य शीर्ष "4711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत 1144.25 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "4711" – "Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – saving of Rs.1144.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भूमि की अधिप्राप्ति किए जाने और केंद्रीय जल आयोग से ड्राइंग और डिजाइन की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in land acquisition and receipt of drawing and design from Central Water Commission.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 92.33 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.92.33 lakhs occurred constituting 92 percent of the sanctioned provision.